बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न–सम्बद्धता प्रक्रिया

Frequently Asked Questions (FAQ) - Affiliation Process

Sl. No.	Query	Response
1.	यदि किसी शैक्षणिक संस्थान में पूर्व से B.A., B.Sc., B.Com, B.Sc. (AG), MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, MBA, B. Tech., B. Pharm., B.Sc. Nursing, B. Arch. पाठ्यक्रम संचालित हो और इस संस्थान में भारतीय पुनर्वास परिषद–Rehabilitation Council of India (RCI) से किसी पाठ्यक्रम की मान्यता नहीं है अथवा आर0सी0आई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम संचालित नहीं है ऐसी स्थिति में इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता मिल सकती है?	इस विश्वविद्यालय से विभिन्न संकायों हेतु सम्बद्धता का आवेदन इस शर्त के साथ कर सकते हैं कि सम्बद्धता के पूर्व आर0सी0आई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम आवेदित संस्था के पास अवश्य होना चाहिए। अतः अनुमोदन की प्रत्याशा में आवेदन कर सकते हैं।
2.	महाविद्यालय की स्थापना हेतु कला, विज्ञान तथा वाणिज्य वर्ग की मान्यता हेतु महाविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि का मानक कितना है? एवं यदि आर0सी0आई0 में पाठ्यक्रम का अनुमोदन प्रतीक्षित हो तो ऐसी स्थिति में सम्बद्धता हेतु इस विश्वविद्यालय को आवेदन किया जा सकता है?	ग्रामीण क्षेत्र हेतु 10,000 वर्गमीटर तथा नगरीय क्षेत्र के लिए 5000 वर्ग मीटर भूमि महाविद्यालय की स्थापना हेतु इस शर्त के साथ वांछनीय है कि समस्त गाटे एक ही स्थान पर तथा आपसे में सटे होना चाहिए। महिला महाविद्यालय के लिए भूमि का मानक उपरोक्त मानको का 50 प्रतिशत होगा। आर0सी0आइ0 से अनुमोदन की प्रत्याशा में सम्बद्धता हेतु आवेदन कर सकते हैं।
3.	यदि कोई शैक्षणिक संस्थान बी0एड0, एम0एड0 अथवा अखिल भारतीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है तो ऐसी स्थिति में शिक्षण संस्थायें सम्बद्धता हेतु पात्रता रखती हैं अथवा नहीं?	ऐसे संस्थान सम्बद्धता हेतु आवेदन इस शर्त के साथ कर सकते हैं कि सम्बद्धता के पूर्व आर0सी0आई0 द्वारा अनुमोदित कोई पाठ्यक्रम ऐसे शिक्षण संस्थाओं में संचालित होना अत्यन्त आवश्यक है।
4.	यदि किसी शिक्षण संस्थान की भूमि, भवन मागज है तो ऐसे संस्थान सम्बद्धता हेतु अर्हता रखते हैं अथवा नहीं?	भूमि एवं भवन भार मुक्त होना चाहिए।
5.	यदि किसी संस्थान के पास अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम है तथा आर0सी0आई0 से कोई मान्यता नहीं है तो ऐसी स्थिति में ऐसे संस्थान सम्बद्धता हेतु आवेदन कर सकते हैं अथवा नहीं?	यदि सम्बद्धता के लिए इच्छुक हैं तो किसी भी प्रकार का अनुमोदन आर0सी0आई0 से प्राप्त करना आवश्यक है। अनुमोदन की प्रत्याशा में भी आवेदन कर सकते हैं।
6.	यदि किसी महाविद्यालय के कुछ पाठ्यक्रम दूसरे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं तथा इसी भवन एवं भूमि पर अन्य संकाय की स्थापना हो सकती है अथवा नहीं?	एक महाविद्यालय की सम्बद्धता एक ही विश्वविद्यालय से प्राप्त हो सकती है। यदि सम्बन्धित विश्वविद्यालय से एन0ओ0सी0 प्राप्त हो जाती है तथा आर0सी0आई0 से अनुमोदित पाठ्यक्रम संचालित हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता हेतु पात्रता होगी।
7.	मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया अथवा किसी अन्य कौंसिल से किसी भी पाठ्यक्रम की मान्यता संस्थान के पास उपलब्ध हो तथा आर0सी0आई0 के	किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्धता हेतु आवेदित संस्था यथा–ट्रस्ट/सोसाइटी /कम्पनी अपने पुराने अथवा नये शैक्षणिक संस्थाओं की

	पाठ्यक्रम संचालित हों तो ऐसी स्थिति में इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हो सकती है?	सम्बद्धता हेतु किसी भी विश्वविद्यालय में आवेदन करने हेतु विधिक रूप से स्वतंत्र हैं परन्तु उस शैक्षणिक संस्थान का क्षेत्राधिकार किसो विश्वविद्यालय का ह उसी में नियमतः सम्बद्धता हेतु आवेदन होना चाहिए। डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण उ0प्र0, इस प्रतिबन्ध के साथ, है कि शैक्षणिक संस्था के पास आर0सी0आई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में से कुछ पाठ्यक्रम का संचालन कर रहा हो। अतएव ऐसी संस्थाओं की सम्बद्धता इस विश्वविद्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।
8.	शैक्षणिक संस्थान के आवेदन हेतु यदि उपयुक्त कौंसिल में आवेदन किया गया हो तथा आर0सी0आई0 से पाठ्यक्रम के अनुमोदन हेतु आवेदन किया गया हो तो ऐसी संस्थाओं की सम्बद्धता इस विश्वविद्यालय से सम्भव होगी?	इस विश्वविद्यालय से विभिन्न संकायों हेतु सम्बद्धता का आवेदन इस शर्त के साथ कर सकते हैं कि सम्बद्धता के पूर्व आर0सी0आई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम आवेदित संस्था के पास अवश्य होना चाहिए। अतः अनुमोदन की प्रत्याशा में आवेदन कर सकते हैं।
9.	नवीन अथवा पुराने महाविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाओं को सम्बद्धता के लिए कितने प्रकार के शुल्क की देयता होगी?	सम्पूर्ण विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://dsmru.up.nic.in पर उपलब्ध है। शुल्क का विवरण इस प्रकार हैः— • आवेदन पत्र के साथ रु0 25,000/— का शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगा। • प्रोसेसिंग शुल्क न्यूनतम दो संकाय के लिए रु0 1,00,000/— डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगा। • सम्बद्धता शुल्क विवरण उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। **उपरोक्त दोनों डिमाण्ड ड्राफ्ट पृथक—पृथक रूप से होंगे।**
10.	आर0सी0आई0 से यदि किसी पाठ्यक्रम का अनुमोदन यू0जी0/पी0जी0/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्राप्त है तो ऐसे पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता इस विश्वविद्यालय से प्राप्त हो सकेगी?	हाँ।
11.	भूमि एवं भवन का मानक इंजीनियरिंग, मेडिकल/आयुर्वेदिक/यूनानी/नर्सिंग एवं लॉ का क्या है?	भूमि एवं भवन का मानक सम्बन्धित काउन्सिल के नियमों के अन्तर्गत होना आवश्यक है।
12.	निरीक्षण मण्डल दल सम्बद्धता हेतु निरीक्षण कब करेगी?	समस्त विवरण एक्शन प्लान में निर्दिष्ट है।
13.	आवेदित शैक्षणिक संस्था के निरीक्षण की सूचना कैसे प्राप्त होगी?	दूरभाष एवं ई—मेल द्वारा 7 दिन पूर्व सूचना प्रदान की जायेगी।
14.	निरीक्षण दल को कौन—कौन से अभिलेख दिये जायेंगे?	समस्त अभिलेख जो आवेदन के साथ जमा किया गया हो उसकी आवेदित संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि तथा संकाय के अनुसार आवेदन शुल्क जो 'वित्त अधिकारी, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय

		पुनवास विश्वविद्यालय' के नाम देय होगा जमा करना अनिवार्य है।
15.	निरीक्षण दल के साथ फोटोग्राफी अथवा वीडियोग्राफी भी करवानी होगी?	निरीक्षण दल के समय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में 17 मिनट की सी0डी0 की व्यवस्था आवेदित संस्था द्वारा कराया जायेगा।
16.	सम्बद्धता के पश्चात् अन्य शैक्षणिक वर्षों में किसी प्रकार की शुल्क लिया जायेगा अथवा नहीं?	सम्बद्धता के पश्चात् प्रत्येक वर्ष सम्बद्धता विस्तारण शुल्क के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से लिया जायेगा। शुल्क का विवरण विश्वविद्यालय के उक्त वेबसाइट पर दृष्टव्य है।
17.	क्या विश्वविद्यालय आर0सी0आई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता/मान्यता प्रदान कर सकता है?	हाँ।
18.	डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय का स्वरूप क्या है?	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2008 में स्थापित इस विश्वविद्यालय सम्बन्धित समस्त अधिनियम विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://dsmru.up.nic.in पर उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय का एक्ट जो उ0प्र0 सरकार द्वारा विधिक रूप से सक्षम स्तर से पारित है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2एफ एवं 12बी रजिस्ट्रेशन प्राप्त है।
19.	इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार किस प्रकार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश है?	विश्वविद्यालय के अधिनियम–5 अनुच्छेद 2 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत इसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश है। अन्य विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।
20.	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया क्या हो?	विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन करके मेरिट के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।
21.	यदि विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन किया जा चुका हो तथा निर्धारित शुल्क जमा हो परन्तु आर0सी0आई0 से अनुमोदित पाठ्यक्रमों का संचालन अपरिहार्य कारणों से न हो अथवा समय लगने की सम्भावना हो तो ऐसी स्थिति में शुल्क वापस होने का क्या प्राविधान है?	आवेदन पत्र की वैधता 3 वर्षों तक मान्य होगी। आवेदित संस्था के पास जब भी आर0सी0आई0 से अनुमोदित पाठ्यक्रम का संचालन हो जाता है तो सम्बद्धता की कार्यवाही प्रारम्भ हो जायेगी। यदि प्रस्तावित शैक्षणिक संस्था का निरीक्षण हो जाता है तो सम्बद्धता प्रक्रिया संचालन शुल्क एवं आवेदन पत्र शुल्क की वापसी का प्राविधान नहीं है। यदि शैक्षणिक संस्था निरीक्षण के पूर्व सम्बद्धता हेतु अपनी असमर्थता व्यक्त करतो हो अथवा आवेदन वापस लेती हो ऐसी स्थिति मे सम्बद्धता प्रक्रिया शुल्क वापस कर दिया जायेगा। निरीक्षण के पश्चात् आवेदन शुल्क तथा सम्बद्धता प्रक्रिया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा।